रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 1992/कार्तिक 4, 1914
No. 211] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 1992/KARTIKA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 802/10/92-एफ. (पी)

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1992

सं 802/10/92-एफ सी.—इस मंत्रालय की दिनांक 21-1-88 की सार्वजनिक सूचना संख्या 105/3/86-एफ. (आई) (समय-समय पर संशोधित) के अतिक्रमण में, सभी संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि 35 एम.एम. और अन्य माप की फीचर फिल्मों और इन फिल्मों और मूल वीडियो फीचर फिल्मों के वीडियो अधिकारों का (दूरदर्शन, आकाशवाणी, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, भारतीय बाल चित्र समिति और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड) द्वारा आयात की जाने वाली वीडियो फिल्मों को छोड़कर) परिशिष्ट 2 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार आयात होगा जो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा घोषित 1 अप्रैल, 1992—31 मार्च, 1997 तक आयात और निर्यात नीति और उनकी दिनांक 12-8-92 की सार्वजनिक सूचना संख्या 38(पी.एन.)/92-97 के अनुसार होगा।

एम. लक्ष्मीनारायणन, संयुक्त सचिव (एफ.एन्ड पी.)

अनुबन्ध

35 एम.एम. और अन्य माप की फीचर फिल्मों और इन फिल्मों और मूल वीडियो फीचर फिल्मों के वीडियो अधिकारों के आयात की प्रक्रिया

सामान्य:

1. यह प्रक्रिया 35 एम.एम. और अन्य माप की फीचर फिल्मों और इन फिल्मों और मूल वीडियो फीचर फिल्मों के वीडियो अधिकारों के आयात और उनके वितरण एवं मूल्य निर्धारण और अन्य गौण मामलों पर लागू होगी।

2. इस परिशिष्ट के प्रयोजन के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(1) "प्रशासनिक अधिकारी" से अभिप्रेत उस अधिकारी से है जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य करने के लिए नियुक्त करता है;

(2) "बोर्ड" से चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के अन्तर्गत स्थापित "केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड" अभिप्रेत है;

(3) "फिल्म" से चलचित्र अधिनियम, 1952 (1962 का 37) की धारा 8 के अन्तर्गत जारी किए चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 में यथा परिभाषित "फिचर फिल्म" अभिप्रेत है, और इसमें ऐसी फिल्म और मूल वीडियो फीचर फिल्म के वीडियो अधिकार भी शामिल है।

आयात करने वाली एजेंसियां

3. फिल्म का आयात अनिवासी भारतीयों और विदेशी पार्टियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

सभी एजेन्सियों द्वारा फिल्मों के आयात से संबंधित सामान्य शर्तें:—

4. आयात के लिए प्रस्तावित फिल्म ऐसी होनी चाहिए—

(क) जो केन्द्रीय सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किसी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार विजेता हो; या

(ख) जिसने अधिसूचित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के किसी भी सरकारी वर्ग में भाग लिया हो; या

(ग) जिसकी, केन्द्रीय सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रख्यात फिल्मी पत्रिकाओं में अच्छी समीक्षाएं हुई हों।

प्रस्तावित फिल्मों के आयात से संबंधित कागजों की संवीक्षा:

5. फिल्मों के आयात के सभी प्रस्तावों को इस आशय के साथ कि क्या वे उक्त पैरा 4 के अनुसार आयात के योग्य हैं, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बम्बई के प्रशासनिक अधिकारी के पास संवीक्षा के लिए भेजा जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी (लघु रूप में ए.ओ.) इस बात से संतुष्ट होने पर कि पैरा चार की शर्तें पूरी हैं आयात करने वाली एजेंसी को प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, जिसके आधार पर यह एजेंसी फिल्मों का आयात कर सकती है।

बशर्ते कि इस प्रमाणपत्र को चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृत नहीं समझा जायेगा।

6. आयात करने वाली एजेंसी ए.ओ. को पुरस्कार या अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने का प्रमाण या उक्त पैरा 4 में संदर्भित समीक्षा की फोटो स्टेट प्रति उपलब्ध कराएगी। उक्त एजेंसी, विदेशी निर्यात करने वाली एजेंसी जिसके साथ उसने फिल्म के लिए बातचीत की है, के अधिकारों के बारे में भी कागजी प्रमाण प्रस्तुत करेगी।

7. ए.ओ. आवेदक को आयात के आवेदन का उत्तर यथाशीघ्र भेजेगा। परन्तु किसी भी हालत में यह उत्तर आवेदन प्राप्त होने के दस दिन के अन्दर भेज दिया जाएगा। इस समय अवधि के प्रयोजन के लिए, और अधिक सूचना वाला पत्र भी "उत्तर" समझा जाएगा।

8. प्रमाणपत्र न दिए जाने की सूचना के लिए ए.ओ. द्वारा कोई कार्रवाई आवेदक को उस मामले में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

ए.ओ. के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इस निर्णय के प्राप्त होने के तीस दिन के अन्दर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपील कर सकता है। मंत्रालय आवश्यक जांच के पूरा होने के बाद और आवेदक और ए.ओ. को मामले में सुनवाई का अवसर देने के बाद, फिल्म के संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह आयात नीति के अनुरूप में उचित समझता है और ए.ओ. इस आदेश के अनुरूप मामले को निपटाएगा। मंत्रालय का निर्णय अन्तिम होगा।

आयात की जाने वाली फिल्मों का प्रमाणपत्र:

9. बोर्ड, फिल्मों को प्रमाणपत्र के लिए जांच करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्में सरकार द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 के तहत समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों का उल्लंघन तो नहीं करतीं। 6-12-91 को जारी मार्गनिर्देशों की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट) 1 बोर्ड का विशेष रूप से ध्यान मार्गनिर्देशों के पैरा 1 के अनुच्छेद (ग) और (ङ) की तरफ दिलाया जाता है जिसके अनुसार फिल्म प्रमाणीकरण के उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना भी होगा कि फिल्में जहां तक संभव हो सके दर्शकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें, वह सौन्दर्यात्मक महत्व की हों और वह चल चित्रिकी रूप से अच्छे स्तर की हों। बोर्ड आयात की जाने वाली फिल्मों के प्रमाणीकरण की जांच के समय इन सभी मार्गनिर्देशों का ध्यान रखेगा।

आयात की अतिरिक्त शर्तें

10. फिल्मों का आयात सामान्यतः थियेट्रिकल और टेलीविजन अधिकारों के संबंध में ही होगा। यदि आयात करने वाली एजेंसी फिल्म के थियेट्रीकल और टेलीविजन अधिकारों के अतिरिक्त वीडियो अधिकारों का भी आयात करना चाहे, तो वह इस प्रयोजन के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत करके ऐसा कर सकता है। किसी फिल्म के वीडियो अधिकारों के आयात से तात्पर्य भारत में कैसेटों पर प्रतिलिपिकरण करने की भी अनुमति होगी, किन्तु ऐसा इस प्रकार के प्रतिलिपिकरण से संबंधित अन्य शर्तों/कानूनों/विनियमों के अधीन ही किया जा सकेगा।

11. आयात करने वाली एजेंसी प्रमाणीकरण के प्रयोजन से केवल एक ही प्रिंट का आयात कर सकती है। प्रमाणीकरण के बाद वे उतनी ही संख्या में प्रिंटों का आयात कर सकती है जितनी कि भारत में इस्तेमाल के लिए जरूरत है। आयात करने वाली एजेंसी प्रमाणित फिल्म का अनुलिपि नेगेटिव भी बना सकती है और उसका भारत में प्रयोग के लिए प्रतिलिपियां भी तैयार कर सकती है। वह ऐसा तभी कर सकती है जब उसने ऐसे मामलों पर लागू कानून या कापीराइट कानून के तहत अधिकार प्राप्त कर रखा हो। तथापि, किसी भी मामले में बोर्ड द्वारा फिल्म के प्रमाणित होने के पहले उसका अनुलिपि नेगेटिव तैयार नहीं किया जा सकता।

12. आयात एजेंसी प्रशासनिक अधिकारी को प्रति फिल्म की जांच के लिए 5,000/- रु. शुल्क देगी, जो वापिस नहीं किया जाता। विदेशी पार्टी के पास जांच शुल्क को विदेशी मुद्रा में भुगतान करने का विकल्प है। जांच शुल्क की राशि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उपायुक्त प्राप्ति शीर्ष में जमा कराया जाएगा।

13. जिस तारीख को फिल्में वास्तविक रूप से आयात की जाती है, उसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारी को देनी होगी।

14. प्रमाणन प्राधिकारियों द्वारा फिल्म को प्रमाणन के लिए अंतिम रूप से अस्वीकृत कर दिए जाने के मामले में, इसे निर्यातक देश को वापिस लौटाना होगा। इस संबंध में यदि कोई व्यय अथवा नुकसान हुआ हो तो वह आयात एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।

15. फिल्म से एकत्र हुई आय में से विदेशी मुद्रा का प्रत्यावर्तन इस संबंध में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

आयातित फिल्मों की अन्य भाषाओं में डबिंग

16. भारत में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विदेशी फिल्म को किसी अन्य भाषा में डब करने पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि, आयात एजेंसी के पास इस प्रकार के मामलों में लागू कापीराइट कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत ऐसा करने का अधिकार हो। तथापि, डब की गई फिल्मों की जांच तथा प्रमाणन चलचित्र अधिनियम, 1952 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा/अथवा बोर्ड, ऐसा भी मामला हो, द्वारा जारी निर्देशों के द्वारा विनियमित किया जाएगा।

आयातित फिल्मों/वीडियो फिल्मों का वितरण

17. आयात एजेंसी अपने द्वारा आयातित फिल्मों तथा फिल्मों के वीडियो अधिकारों के लिए वितरण की व्यवस्था स्वयं करेगी।

मूल्य निर्धारण

18. जब भी फिल्म या आयातित फिल्म के वीडियो अधिकारों के लिए मूल्य विदेशी पार्टी को दिया जाना अपेक्षित हो, तो इसका आयातकर्ता द्वारा इस प्रकार की विदेशी पार्टी के साथ सीधे तय किया जायगा।

अपवाद

19. प्रलेख में निहित किसी बात के होते हुए भी मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका (एम पी ए ए) तथा सोवेक्सपोर्ट तथा इस प्रकार के अन्य संगठनों तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बीच हुए मौजूदा करारों के अन्तर्गत फिल्मों का आयात इन करारों के समाप्त होने तक इन करारों के प्रावधानों द्वारा विनियमित होगा।

शिथिल करने का अधिकार

20. प्रलेख में निहित किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, लिखित कारणों के आधार पर किसी भी अपेक्षा को हटा सकेगा या उसे शिथिल कर सकेगा और इसके कारण लिखित में दिए।

परिशिष्ट

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1991

का.आ. 836(ई).—केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 9(अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन का मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे :—

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि :

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक रूप से रोक न लगाई जाए;

(ग) प्रमाणन-व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हो;

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें; और

(ङ) यथासंभव फिल्म सौन्दर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि :—

(1) हिंसा जैसी समाज विरोधी प्रक्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं;

(2) आपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उद्दीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए;

(3) ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें :—

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में, अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरुपयोग किया गया हो;

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा मजाक उड़ाया गया हो; और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरुपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाए।

(4) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनशील या अमानवीय हो सकते हों;

(5) जे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो;

(6) नशीली दवाओं के सेवन को उचित ठहराने वाले या उनका गुणगान करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाएं;

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रख जाएं जिनसे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो;

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाएं जाएं;

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इस किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसा घटना विषय के लिए प्रासंगिक हों तो ऐसे दृश्यों को कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए;

(11) काम-विकृतियों दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए। यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए;

(12) जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अपमानजनक दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिएं;

(13) साम्प्रदायिक, रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए;

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो;

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिएं;

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए;

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो;

व्याख्या—ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा, अपमान या अपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएंगे।

(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबन्धों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक न दिखाए जाएं।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि :—

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है; और

(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4. ऐसी फिल्में, जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हों, किन्तु प्रवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं के साथ बैठकर देखा जा सकता हो।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता पिता/अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषय वस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों की बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि ये शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदण्ड का उल्लंघन न करते हों।

[फा.सं. 805/1/90-एफ. (सी)]

एस. लक्ष्मीनारायणन, संयुक्त सचिव

पादटिप्पण :- भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (2), तारीख 7-1-78 में का.आ. 9(अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7-1-78 की अधिसूचना संख्या 5/5/77 एफ (सी) जिसका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया।

(1) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) तारीख 17-2-79 में का.आ. 618 के रूप में प्रकाशित तारीख 27-1-79 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ (सी)

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) तारीख 7-5-83 में का.आ. 356(अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7-5-83 की अधिसूचना संख्या 805/2/82-एफ (सी)

(3) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) तारीख 9-9-89 में का.आ. संख्या 2179 के रूप में प्रकाशित तारीख 18-8-89 की अधिसूचना संख्या 805/4/89-एफ (सी)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

PUBLIC NOTICE NO. 802|10|92-F(C)

New Delhi, the 26th October, 1992

No. 802|10|92-FC —In supersession of this Ministry's Public Notice No. 105|3|86-F(I) dated 21-1-88 (as amended from time to time), it is hereby notified for information of all concerned that the procedure indicated in the Annexure shall be followed for import of feature films in 35 mm and other gauges and video rights of such films and also original video feature films (except those imported by Doordarshan, All India Radio, National Film Archives of India, Film and Television Institute of India, Children's Film Society of India and National Film Development Corporation Ltd.) in terms of the Export and Import Policy—1 April 1992—31 March 1997 announced by the Ministry of Commerce and also their Public Notice No. 38(PN)|92-97 dated 12-8-92.

S. LAKSHMI NARAYANAN, Jt. Secy. (F&P)

ANNEXURE

PROCEDURE FOR IMPORT OF FEATURE FILMS IN 35 MM AND OTHER GAUGES AND VIDEO RIGHTS OF SUCH FILMS AND ALSO ORIGINAL VIDEO FEATURE FILMS.

General

1. This procedure is applicable to the import of feature films in 35 mm and other gauges and video rights of such films and also original video feature films and their distribution and pricing and other matters ancillary thereto.

2. For the purpose of this Annexure, unless the context oherwise requires,—

(i) "Administrative Officer" includes such other officer as may be designated by the Ministry of Information and Broadcasting to do his functions under this procedure;

(ii) "Board" means the Central Board of Film Certification set up under the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952);

(iii) "Film" means a feature film as defined in the Cinematograph (Certification) Rules, 1983 issued under section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) and includes video rights of such a film and also original video feature film.

Importing agencies.

3 A film can be imported by any person including Non-Resident Indians and Foreign Parties.

General conditions relating to import of films by all agencies.

4. The film proposed to be imported should have—

(a) won an award in any International Film Festival notified by the Central Government in the Ministry of Information and Broadcasting; or

(b) participated in any of the official sections of the notified International Film Festivals; or

(c) received good reviews in prestigious film journals notified by the Central Government in the Ministry of Information and Broadcasting.

Scrutiny of papers regarding films proposed to be imported

5. All proposals for import of films shall be sent to the Administrative Officer, Central Board of Film Certification, Bombay, for scrutiny with a view to determining whether they are eligible to be imported in terms of para 4 above. The Administrative Officer (A.O., in short) on being satisfied that the condition set out in para 4 above is fulfilled may issue a certificate to the importing agency on the basis of which it can import the film :

Provided that such a certificate shall not be construed as clearance for public exhibition under the Cinematograph Act, 1952.

6. The importing agency shall make available to the A.O. the proof of award or participation in an international film festival or a photostat copy of the review referred to in para 4 above. The agency shall also submit documentary proof about the rights of the foreign exporter with whom it has made negotiations for purchase of the film

7. Reply to an application for import shall be communicated by the A.O. to the applicant as early as possible but in any case not later than 10 days from the date of receipt of the application. For the purpose of this time-limit, even a letter calling for further information shall be treated as a 'reply'.

8. No action for communication of refusal of certificate shall be taken by the A.O. except after giving an opportunity to the applicant for representing his views in the matter.

Any person aggrieved against any decision of the A.O. may, within thirty days of communication of such decision, appeal to the Ministry of Information and Broadcasting. The Ministry may, after making such enquiry into the matter as it considers necessary and after giving the appellant and the A.O. an opportunity of being heard in the matter make such order in relation to the film as it thinks fit in consonance with the import policy and the A.O. shall dispose of the matter in conformity with such order. The decision of the Ministry shall be final.

Certification of imported films

9. The Board, while examining films for certification, shall ensure that the films are not violative of any of the guidelines issued by the Government from time to time under the Cinematograph Act, 1952. A copy of the guidelines issued on 6-12-91 is enclosed (Appendix). The attention of the Board is specifically invited to clauses (d) and (e) of para 1 of the guidelines according to which the objectives of film certification will also be to ensure that the medium of film provides clean and healthy entertainment and as far as possible, the film is of aesthetic value and cinematically of a good standard. The Board shall always keep in mind these guidelines while examining imported films for certification.

Additional conditions for import

10. The import of films will be normally in regard to theatrical and television rights. In case the importing agency desires to import video rights in addition to theatrical and television rights of the film, it can do so on submission of a separate application for the purpose. Further, importing video rights will also amount to permission for duplication in India on cassettes subject to other conditions| laws|regulations for such duplication.

11. The importing agency can import only one print for the purpose of certification. After certification, it may import such number of prints as may be required for use in India. The importing agency can also make dupe negative of the certified film and make copies in India for use, provided that it has got rights to do the same under the copyright law or any other law applicable to such cases. However, in no case shall dupe negative be made before the film is certified by the Board.

12. The importing agency shall pay Rs. 5,000 to the A.O. as scrutiny fee per film which is not returnable. A foreign party will have an option to pay the scrutiny fee in foreign exchange. The scrutiny fee will be credited to the appropriate receipt head of the Ministry of Information and Broadcasting.

13. The date on which a film is actually imported shall be communicated to the A.O.

14. In case a film is finally refused certification by the certification authorities it shall be returned to the exporting country. Any expenditure or loss incurred in this regard, if any, will be borne by the importing agency.

15. The repatriation of foreign exchange out of the earnings of the film shall be governed by such instructions as may be issued by the Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance in this regard.

Dubbing of imported films in other languages

16. There is no objection to an imported film in a language being dubbed in any other language for the purpose of screening in India, if the importing agency has got rights to do the same under the copyright law or any other law applicable to such cases. However, examination and certification of dubbed films shall be governed by the Cinematograph Act, 1952 and the rule framed thereunder as also such instructions as may be issued by the Ministry of Information and Broadcasting and|or the Board, as the case may be.

Distribution of imported films|video films

17. An importing agency will make its own arrangements for distribution of films and video rights of films imported by it.

Pricing

18. Wherever a price is required to be paid for a film or video rights of a film imported, to a foreign party, it shall be directly settled with such foreign party by the importer. Foreign exchange required for the purpose will be arranged by the importing agency.

Saving clause

19. Notwithstanding anything contained in this document, the importation of films by the Motion Pictures Export Association of America (M.P.E.A.A), Sovexportfilm and such other organisations under the existing agreements between them and the National Film Development Corporation Ltd. shall be governed by the provisions of the said agreements till the expiry of these agreements.

Power to relax

20. Notwithstanding anything contained in this document, the Central Government in the Ministry of Information and Broadcasting, being satisfied that it is necessary or expedient to do so, may waive or relax any of the requirements mentioned above for reasons to be recorded in writing.

S. LAKSHMI, NARAYANAN, Jt. Secy. (F&P)

APPENDIX

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 6th December, 1991

S.O. 836(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5B of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) and in supersession of the notification of the Government of India in Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 9(E), dated the 7th January, 1978, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that in sanctioning films for public exhibition, the Board of Film Certification shall be guided by the following principles :—

1. The objects of film certification will be to ensure that—

(a) the medium of film remains responsible and sensitive to the values and standards of society;

(b) artistic expression and creative freedom are not unduly curbed;

(c) certification is responsible to social change;

(d) the medium of film provides clean and healthy entertainment; and

(e) as far as possible, the film is of aesthetic value and cinematically of a good standard.

2. In pursuance of the above objectives, the Board of Film Certification shall ensure that—

(i) anti-social activities such as violence are not glorified or justified;

(ii) the modus operandi of criminals, other visuals or words likely to incite the commission of any offence are not depicted;

(iii) scenes—

(a) showing involvement of children in violence as victims or as perpetrators or as forced witnesses to violence, or showing children as being subjected to any form of child abuse;

(b) showing abuse or ridicule of physically and mentally handicapped persons; and

(c) showing cruelty to, or abuse of, animals,

are not presented needlessly;

(iv) pointless or avoidable scenes of violence, cruelty and horror, scenes of violence primarily intended to privide entertainment and such scenes as may have the effect of desensitising or dehumanising people are not shown;

(v) scenes which have the effect of justifying or glorifying drinking are not shown;

(vi) scenes tending to encourage, justify or glamorise drug addiction are not shown;

(vii) human sensibilities are not offended by vulgarity, obscenity or depravity;

(viii) such dual meaning words as obviously cater to baser instincts are not allowed ;

(xi) scenes degrading or denigrating women in any manner are not presented;

(x) scenes involving sexual violence against women like attempt to rape, rape or any form of molestation, or scenes of a similar nature are avoided, and if any such incident is germane to the theme, they shall be reduced to the minimum and no details are shown;

(xi) scenes showing sexual perversions shall be avoided and if such matters are germane to the theme, they shall be reduced to the minimum and no details are shown;

(xii) visuals or words contemptuous of racial, religious or other groups are not presented;

(xiii) visuals or words which promote communal, obscurantist, anti-scientific and anti-national attitudes are not presented;

(xiv) the sovereignty and integrity of India is not called in question;

(xv) the security of the State is not jeopardised or endangered;

(xvi) friendly relations with foreign States are not strained;

(xvii) public order is not endangered;

(xviii) visuals or words involving defamation of an individual or a body of individuals, or contempt of court are not presented;

EXPLANATION : Scenes that tend to create scorn, disgrace or disregard of rules or undermine the dignity of court will come under the term "contempt of court"; and

(xix) National symbols and emblems are not shown except in accordance with the provisions of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 (12 of 1950).

3. The Board of Film Certification shall also ensure that the film—

(i) is judged in its entirety from the point of view of its overall impact; and

(ii) is examined in the light of the period depicted in the film and the contemporary standards of the country and the people to which the film relates, provided that the film does not deprave the morality of the audience.

4. Films that meet the above-mentionel criteria but are considered unsuitable for exhibition to non-adults shall be certified for exhibition to adult audiences only.

5. (1) While certifying films for unrestricted public exhibition, the Board shall ensure that the film is suitable for family viewing, that is to say, the film should be such that all the members of the family including children can view it together.

(2) If the Board, having regard to the nature, content and theme of the film, is of the opinion that it is necessary to caution the parents|guardian to consider as to whether any child below the age of twelve years may be allowed to see such a film, shall be certified for unrestricted public exhibition with an endorsement to that effect.

(3) If the Board, having regard to the nature, content and theme of the film, is of the opinion that the exhibition of the film should be restricted to members of any profession or any class of persons, the film shall be certified for public exhibition restricted to the specialised audiences to be specified by the Board in this behalf.

6. The Board shall scrutinise the titles of the films carefully and ensure that they are not provocotive, vulgar, offensive or violative of any of the above-mentioned guidelines.

[File No. 805|1|90-F(C)]

S. LAKSHMI NARAYANAN, Jt. Secy.

Foot-note : Notification No. 5|5|77-F(C) dated 7-1-78 published in the Extraordinary Gazette of India Part II Section 3 Sub-section (ii) dated 7-1-78 as S.O. 9(E) Amended by—

(i) Notification No. 5|5|77-F(C) dated 27-1-79 published as S.O. 618 in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-section (ii) dated 17-2-79.

(ii) Notification No. 805|2|82-F(C) lated 7-5-83 published as S.O. 356(E) in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3 Sub-section (ii) dated 7-5-83.

(iii) Notification No. 803|4|89-F(C) dated 11-8-89 published as S.O. 2179 in the Gazettee of India Part II Section 3 sub-section (ii) dated 9 9-89.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993